फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरूलाल | विपक्षी : श्रीमती रूपी

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 89/22

जीसीएमएस : 2022/342

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की पूर्व पेशी पर एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा.का.अ. के तहत् प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को पैतृक बताकर घोषणा एवं बंटवाडा चाहा गया हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार विपक्षी संख्या 1 बिना बंटवाडा करवाये वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बिना विधिक बंटवाडा करवाये किसी विशिष्ट भू भाग हिस्सा भूमि को विक्रय नहीं कर सकता हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। वादग्रस्त भूमि में से विपक्षी सं. 1 द्वारा किसी विशिष्ट भू भाग का विक्रय कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:49 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा की जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 34 पर दर्ज आराजी नम्बर 831 किता 1 रकबा 24.6858 हेक्टेयर, खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 2517/795, 795, 829, 830 किता 4 कुल रकबा 20.3638 हेक्टेयर, खाता संख्या 61 पर दर्ज आराजी नम्बर 718 रकबा 0.1619 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 400 पर दर्ज आराजी नम्बर 717 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 रूपीबाई पत्नी सखाराम डांगी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि की रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:40 IST
Reason: SelfAttested